न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 99/2022

अनवान : –

1. भंवरी पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांक:** 6/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 66/51 की 5.8810हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि प्रार्थीया के पिता पेमाराम की मृत्यु के बाद विरासतन दर्ज हुई तथा वादग्रस्त भूमि विरासतन दर्ज होने के कारण वल्दीयत पेमाराम व साकिन साहवा दर्ज हो गया लेकिन प्रार्थीया वल्दीयत में पिता की जगह पति का नाम जयलाल व साकिन साहवा तहसील तारानगर के स्थान पर जबरासर तहसील नोहर दर्ज करवाना चाहती है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की वल्दीयत व साकिन सही दर्ज नही होने से प्रार्थीया अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थीया का सही नाम कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का नाम सही दर्ज करने करने पर वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा कम या ज्यादा नही होना है केवल नाम दुरूस्त होना है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपनी वल्दीयत व पता दुरूस्त करवा पाने की क़ानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 2048 दिनांक 16.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कि गई कि प्रार्थीया के दस्तावेजों में नाम भंवरी पत्नी जयलाल व साकिन जबरासर है एवं नाम दुरूस्ती बाबत विधि अनुसार निर्णय किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:02:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम भंवरी पत्नी जयलाल व साकिन जबरासर

है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री प्रेमाराम एवं साकिन साहवा तहसील तारानगर दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 66/51 की 5.8810हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया अपना नाम भंवरी पुत्री पेमाराम के स्थान पर भंवरी पत्नी जयलाल एवं साकिन साहवा तहसील तारानगर के स्थान पर साकिन जबरासर तहसील नोहर दर्ज करवाना चाहती है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र आदि में सही नाम भंवरी पत्नी जयलाल निवासी जबरासर तहसील नोहर अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की अभिशंषा की गई है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा कर्मशाना तहसील नोहर के खाता स0 66/51 की 5.8810हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थीया भंवरी पुत्री पेमाराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर के स्थान पर सही नाम भंवरी पत्नी जयलाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच भंवरी पुत्री पेमाराम निवासी साहवा तहसील तारानगर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का भंवरी पुत्री पेमाराम निवासी साहवा तहसील तारानगर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम भंवरी पुत्री पेमाराम निवासी साहवा तहसील तारानगर ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 6/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:02:59 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर